सार-समाचार

हिस्ट्रीशीटर इमरान कुंजड़ा रिमांड पर

उदयपुर, (कासं)। सविना थाना पुलिस ने प्रोपर्टी डिलर कर अपहरण कर उससे एक करोड़ की फिरौती मांगने वाले कुख्यात हिस्ट्रीशिटर इमरान कुंजड़ा को रिमाण्ड पर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आीक्षक मडेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित के सुपरविजन में सविना थानाधिकारी राव अजयसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने प्रोपर्टी डिलर का अपहरण कर उससे एक करोड़ रूपये की अवैध वसूली करने के मामले में कुख्यात हिस्ट्रीशिटर इमरान कुंजड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 5 दिन के लिए पुलिस रिमाण्ड पर लिया। अपहरण व फिरौती मामले में गत दिनों इमरान कुजड़ा को जुहापुरा अहमदाबाद गुजरात से सविना पुलिस डिटेन कर उदयपुर लेकर आ रही थी। जहां बीच रास्ते में अम्बामाता घाटी में घबराह होने व उल्टी होने का बहाना कर गाड़ी को रूकवाया। इस दौरान नीचे उतरने पर वह पुलिस जवान को अंधेरे में भागा। जिसे पुलिस दल ने दबोच लिया। इस दौरान निचे गिरने पर चोटिल होने पर पुलिस ने उसे दबोच कर एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। इस पर 29 जनवरी को एमबी चिकित्सालय से छूटने पर इमरान हुसैन उर्फ ईमरान कुंजडा पुत्र मो. युसुफ कुंजड़ा निवासी कुजरवाड़ी धानमण्डी हॉल रजा कॉलोनी मल्लातलाई अम्बामातापुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पांच दिन के लिए रिमाण्ड पर लिया हैं।

रंजिश के चलते युवक की हत्या

उदयपुर, (कासं)। पहाड़ा थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी। आक्रोशित परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से इंकार कर दिया। पुलिसन समझाईश कर मामला शांत करवाया। प्रकरण के अनुसार पहाड़ा थाना क्षेत्र घाटी गांव में 28 जनवरी को आपसी रंजिश के चलते पैदल जा रहे दिलखुश पुत्र ईश्वरलाल को घाटी डमोर फला गांव निवासी विक्रम पुत्र नारायण डिण्डोर, आशिष पुत्र नन्दलाल गरासिया निवासी गोविन्द देव पहाड़ा ने रास्ते जाते रोक चाकू से हमला कर दिया। छाती में बायी तरफ चाकू से घांव लगने पर गंभीर हालत में एंबूलेन्स की मदद से उसे उपचार के लिए डूंगरपुर चिकित्सालय पहुंचाया। जहां उसकी मौत हो गई। इसका पता चलते ही मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। इधर सूचना मिलने पर पहाड़ा थानाधिकारी उम्मेदीलाल मय जाप्ता मौके पर पहुचे जहां गांव में तनावूपर्ण स्थिति को देख कर उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी तथा खेरवाड़ा एवं पाटिया पुलिस थाने से जाप्ता मंगवा कर तैनात किया। इधर पुलिस ने घटना के तीसरे दिन गुरूवार को मृतक के परिजनों से समझाईश कर मामला शांत कर आरोपियों के खिलाफ हत्या कर प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू की तथा मृतक दिलखुश का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। दोनों पक्षों के बीच आपसी रंजिश चल रही हैं।

हादसे में युवक की मौत

उदयपुर, (कासं)। डबोक थाना क्षैत्र में हुए हुए हादसे से गिरने पर घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डबोक थाना क्षैत्र भूतपुरा ढावा के पास अशोक लिलेंड कंपनी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हैं। गुरूवार सवेरे प्रकाशचन्द्र सुथार पुत्र रामलाल सुथार निवासी ओरडी नान्दवेल मौके पर चल रहे कंस्ट्रक्शन काम को देखने गया था। जहां लोहे की पैनलिंग में पांव फंसने से वह निचे गिर पड़ा था। हादसे में गंभीर घायल होने पर उसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसकी मौत हो गई। डबोक थाना एएसआई लक्ष्मण सिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा।

जयपुर बर्ड फेस्टिवल कल से

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान में हो रहे बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला में पहली बार ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर (जयपुर चैप्टर) द्वारा 1 फरवरी को जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है।फेस्टिवल संयोजक रिटायर्ड आईएएस विक्रम सिंह ने बताया कि जामडोली के पास कानोता कैंप रिसोर्ट में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में लगभग 500 विद्यार्थियों, शिक्षकों व बर्ड प्रेमियों के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर निगम ने किये चार होटल सीज

■ निगम अग्निशमन शाखा की शहर में लगातार दूसरे दिन कार्यवाही

उदयपुर, (कासं)। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर नगर निगम उदयपुर द्वारा गुरूवार को भी शहर में चार होटल को सीज करने की कारवाई की गई।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबुलाल चौधरी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर पूर्व में शहर की कई प्रमुख ईमारतों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान फायर ऑफिसर शिवराम मीणा,नवदीप सिंह बग्गा आदि भी मौजूद रहे। टिम द्वारा की गई जांच में जिन ईमारतों ने सुरक्षा मापदण्ड नहीं अपनाए थे उन्हें नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गए। नोटिस मिलने के उपरान्त भी सुरक्षा हेतु जारी निर्देश की पालना नही करने के कारण गुरुवार को नगर निगम अग्निशमन दल ने सेक्टर.13-हिरण मगरी स्थित रॉयल आईकॉन होटल,ऑक्सीऑन होटल एवं हरिदास जी की मगरी स्थित होटल अगवानी तथा ईमली घाट चांदपोल स्थित उम्मेद होटल को सीज करने की कार्यवाही की गई।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर में कई होटल एवं रेस्टोरेंट तंग गलियों में बनाए गए हैं जहां पर आपातकाल स्थिति में फायर ब्रिगेड अथवा कोई भी अन्य आवश्यक कदम तत्काल नहीं उठाए जा सकते हैं। इसलिए होटल एवं रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यावसायिक स्थान पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण निश्चित रूप से लगे हुए होने चाहिए।

नगर निगम द्वारा बार.बार शहर में स्थित सभी बडी एवं व्यावसायिक इमारत पर सुरक्षा मापदंडों को लेकर निर्देश जारी किए गए लेकिन हर बार निर्देश को अनसुना किया गया। इन स्थानों पर कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है एवं जान एवं माल का नुकसान हो सकता है। अतः सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा मापदंडों को लेकर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बरदाश्त योग्य नहीं होगी। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि स्वायत्त शासन विभाग राज सरकार नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के तहत लाईफ एण्ड सेफ्टी के तहत जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से शहर में निर्मित होटल रेस्टोरेन्ट एवं अन्य व्यावसायिक गैर व्यावसायिक ईमारत में सुरक्षा मापदण्डो को लेकर आकस्मिक जांच की जाएगी।

यदि किसी ईमारत में सुरक्षा को लेकर कुछ कमी है तो वह उस कमी को पूरा कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें साथ ही नगर निगम अग्निशमन शाखा से एनओसी प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें। यदि भवन मालिकों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी रखी जाएगी तो ऐसी ईमारतों को नगर निगम अग्निशमन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सीज किया जाएगा।

इसी प्रकार नगर निगम द्वारा लगातार यूडी टैक्स को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है गुरुवार को फिर से राजस्व शाखा द्वारा दो प्रतिष्ठानों को सीज किया गया।नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर फिर बडी कार्यवाही करते हुए 2 संपतियों को सीज किया गया। गुरुवार को ठक्कर बप्पा कॉलोनी सूरजपोल में सुशीला मेहता एस.एस. मेहता की संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर कुल 1275070 रूपये बकाया था जिसे सीज किया गया। वहीं रामपुरा चौराहा स्थित रॉयल गार्डन का कुल 1179759 रुपए नगरीय विकास कर बकाया था जिसे भी सीज किया गया। इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक सम्पतियों पर ताला लगा इनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द करा दी गई। निगम द्वारा इस सम्बन्ध में जारी ने नोटिस के उपरांत भी संबंधित फर्मों द्वारा टैक्स बकाया रहने के लिए कोई संतोषप्रद का कारण भी नही बताया गया है। फर्म से कुल बकाया का नोटिस भी तामिल करवाया जा चुका था। सभी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत निगम ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा की उपबंधो के अधिन यू डी टैक्स की वसूली की पूर्ती हेतु दो संपतियो को सीज करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल व पुलिस बल मौजूद रहा।

उदयपुर में अब तक 8082 सदस्य खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर

उदयपुर, (कासं)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने तथा अपात्र लोगों को सूची से हटाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकार की ओर से गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत रसद विभाग की ओर से निष्कासन श्रेणी में शामिल लोगों के नाम हटवाने को लेकर विशेष मुहिम चलाई गई। इसके तहत अब तक उदयपुर जिले में 1945 परिवारों के 8000 से अधिक सदस्यों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना सूची से हटाए जा चुके हैं। गिव अप अभियान के तहत स्वैच्छिक रूप से नाम हटवाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। निर्धारित तिथि तक स्वैच्छिक रूप से नाम नहीं हटवाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना 27.09.2018 के अन्तर्गत निष्कासन श्रेणी तय की गई है। इसमें वह परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, वह परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) को शामिल किया गया है।

जिला रसद अधिकारी भटनागर ने बताया कि उदयपुर जिले में जिला रसद अधिकारी प्रथम अंतर्गत गिव अप अभियान के तहत अब तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर 1127 राशन कार्डों में शामिल 4575 सदस्यों तथा जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंतर्गत 818 राशन कार्डों में शामिल 3507 सहित कुल 8082 सदस्यों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया गया है।

जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सूची में कई अपात्र परिवार शामिल हैं, जबकि कई पात्र परिवार इस सुविधा से वंचित हैं। इसके लिए सरकार ने गिवअप अभियान चलाया, ताकि निष्कासन श्रेणी में शामिल स्वैच्छिक रूप से अपना नाम हटवा लेवें।

इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी (शुक्रवार) निर्धारित है। तय तिथि के बाद उक्त श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिन्हीकरण के लिए सर्वे करवाया जाएगा तथा अपात्र पाए जाने पर परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

दो मंजिला इमारत सीज

उदयपुर, (कासं)। शहर के हरिदास जी की मंगरी क्षेत्र में निगम की बिना अनुमति के ही भूखंड मालिक द्वारा दो मंजिला इमारत का निर्माण करवा दिया गया जानकारी मिलने पर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने तुरंत आदेश देकर निर्माणाधीन भवन को सीज करने की कार्रवाई की।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया है कि शहरवासी शहर में किसी भी तरह का निर्माण नगर निगम से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करवाए। लेकिन शहर के हरिदास जी की मगरी पर एक भूखंड मालिक द्वारा अपने भूखंड पर बिना नगर निगम की अनुमति दो मंजिला इमारत का निर्माण करवा दिया, जिसकी शिकायत मिलने पर आयुक्त ने तुरंत सीज करने के आदेश दिए। आदेश की पालना में निगम राजस्व निरीक्षक विजय जैन, मोहित अग्रिहोत्री, राहुल मीणा, पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी द्वारा निर्माणाधीन भवन को सीज किया गया।

सार-समाचार

मारपीट कर नकदी व मोबाइल लूटा

उदयपुर, (कासं)। फलासिया थाना क्षैत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दो अलग अलग स्थानों पर पीडितों के साथ मारपीट कर नकदी व मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनसार 26 जनवरी को बाइक सवार महेन्द्र पुत्र बालूराम भगोरा निवासी मादला के साथ विनोद पुत्र कालुलाल पटेला निवासी दमाणा, चेतन, राहुल पुत्र कमलेश पटेला निवासी दमाणा व अजय पुत्र राकेश पटेला निवासी दमाणा महेन्द्र से 5 हजार रूपये नकदी व मोबाईल लूट ले गए। इसी दौरान कुछ समय बाद बहादुर पुत्र वरदा पटेल निवासी दमाणा के साथ बिजली रोड़ पर आरोपी मारपीट कर 5 हजार रूपये नकदी व मोबाईल लूट ले गए। 26 जनवरी अपरान्ह में महेन्द्र बाइक लेकर बलरड़ा नदी की तरफ जा रहा था। इस दौरान मौका देख आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कुछ समय बाद बिजली गांव रोड़ पर बहादुर के साथ आरोपियों ने लूट की वारदात को अजाम दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया हैं। जिसकी जांच एएसआई ईश्वरलाल कर रहे है।

लंबित प्रकरणों की ली जानकारी

उदयपुर, (कासं)। पंचायतीराज विभाग मंत्री मदन दिलावर एवं राज्यमंत्री श्री ओटाराम देवासी ने गुरुवार को जयपुर स्थित शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।इस दौरान दिलावर ने प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों के सम्बंध में एक-एक कर विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टरों एवं जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से जानकारियां लेते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किये। आयोजित वीसी में उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआइटी से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी जुडे तथा उदयपुर जिले के लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारिया साझा की। वीसी में जिला परिषद सी ओ हेमेंद्र नागर, एसी ओ अंजुम ताहिर सम्मा समेत पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

कार की टक्कर से युवक की मौत

उदयपुर, (कासं)। डबोक थाना क्षैत्र में कार ने राह चलते युवक को चपेट में ले लिया। जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात में डबोक से तुलसीदास जी की सराय सर्विस लाईन पर अज्ञात कार ने पैदल जा रहे कोटा मामचारी करोली निवासी मोहरसिंह पुत्र लक्ष्मण बेरवा जाटव को चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर घायल होने पर उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया जहां उसकी मौत होगई। हेडकांस्टेबल गोविन्दराम ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

उपप्रधान का निर्वाचन 17 को

उदयपुर, (कासं)। पंचायतीराज उपचुनाव- 2025 के तहत पंचायत समिति सायरा में उपप्रधान, वार्ड 13 के पंचायत समिति सदस्य तथा ग्राम पंचायत ब्राह्मणों का कलवाना में वार्ड 2 के पंच तथा उप सरपंच के निर्वाचन को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि पंचायत समिति सायरा के वार्ड 13 के पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 3 फरवरी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 6 फरवरी अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। मतदान 14 फरवरी को तथा मतगणना 15 फरवरी को होगी। उप प्रधान का चुनाव 17 फरवरी को होगा। इसी प्रकार ब्राह्मणों का कलवाना के वार्ड 2 में वार्डपंच के निर्वाचन के लिए नामांकन 5 फरवरी को होगा। मतदान 14 फरवरी को होगा तथा मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चाम मतगणना की जाएगी।

सिद्धिका कस्तूरी को पीएच.डी.

उदयपुर, (कासं)। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने सिद्धिका कस्तूरी को शोध कार्य के लिए पीएचडी की उपाधि दी है।उन्होंने अपना शोध कार्य डॉ. नैना त्रिवेदी के निर्देशन में पूरा किया है। डॉ. सिद्धिका का रिसर्च टॉपिक उदयपुर जिले में वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं और ऑफलाइन कक्षाओं के बीच अधिगम संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन रहा है।

वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 7 से 9 फरवरी तक

■ 15 देशों के 150 कलाकार और 22 बैंड देंगे प्रस्तुतियां

उदयपुर, (कासं)। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का बहुप्रतीक्षित सातवां संस्करण 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होगा। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से सहर द्वारा परिकल्पित इस आयोजन को वेदांता हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है। इस साल महोत्सव की थीम 'सारंगी जैसे भूले-बिसरे संगीत वाद्ययंत्रों और राजस्थान की परंपराओं का संरक्षण और प्रचार' रखी गई है। यह आयोजन सभी के लिए निःशुल्क रहेगा, जो इसे हर वर्ग के लिए विशेष सांस्कृतिक अनुभव बनाता है।

महोत्सव में 15 से अधिक देशों के 22 बैंड अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिनमें अर्जेंटीना, ईरान, स्वीडन, स्पेन, आइवरी कोस्ट, कुर्दिस्तान, जर्मनी, हंगरी और रीयूनियन आइलैंड जैसे देश शामिल हैं।

इनमें से कई कलाकार भारत में पहली बार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय संगीत जगत की मशहूर हस्तियां शान, कर्ष काले, कनिका कपूर और फरीदकोट जैसे कलाकार भी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। यह महोत्सव न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के संगीतप्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होने वाला है। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल को उदयपुर के तीन प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव की शुरुआत 7 फरवरी सायं 6 बजे से गांधी ग्राउंड पर आयोजित संगीत संध्या से होगी। 8 और 9 फरवरी को सुबह 8 से 10 बजे तक मांझी का घाट पर शांतिपूर्ण ध्यान सत्र होंगे।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः F 7 (12) PLAN/ LANDUSE/2024-25/232-233 दिनांक: 30/01/2025

आम-सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य सिविल रिट संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय के क्रम में सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 20-07-2017 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर वृहद/व्यापक जनहित के दृष्टिगत मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञये किये जाने के संबंध में प्रदत्त आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम /योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1.	श्रीमतीसीमाकुमारी पत्नी श्री दिनेश शर्मा एवं श्रीमतीउषा शर्मा पत्नी श्री अशोक शर्मा	पालडी	1993	01	34419.00 वर्गफीट	राजस्व ग्रामपालडीमें स्थित भेरूजी मंदिर के समीप खसरा 1993 के अनुमोदित प्लान में स्थित है।	फार्महाउस उपयोगसे आवासीय प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ./90 क/24/16448 **लोक-सूचना** दिनांक :29/01/2025

श्री सम्पतलाल लोढा पिता श्री फतहलाल लोढा निवासी नाथद्वारा, जिला -राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर- कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	गुंजोल	811,812	कुल रकबा 0.1770हैक्टर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 29/01/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा

सं./न.पा.नाथ./90 क/25/16562 **लोक-सूचना** दिनांक :30/01/2025

श्री प्रकाश कुमार एवं रमेश कुमार पिता श्री नाथुलाल खटीक निवासी राबचा तह.देलवाड़ा जिला -राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
देलवाड़ा जिला-राजसमन्द	राबचा	1801/ 621,633	कुल रकबा 0.2782 हैक्टर में से 2408.95 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

रामराज के प्रबल पक्षधर थे गांधीजी : सारंगदेवोत

■ गांधी की पुण्यतिथि व शहीद दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन, एक दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन

उदयपुर, (कासं)। जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में गुरूवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि व शहीद दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि गांधी जी देश में स्वराज्य के साथ रामराज्य के भी प्रबल पक्षधर थे। वे इन दोनों को अन्योन्याश्रित मानते थे और उनके मन मस्तिष्क में इन दोनों की तस्वीरें बिल्कुल साफ थी। 'मेरे सपनों का भारत' में उन्होंने लिखा था कि भारत मूल रूप में कर्मभूमि है, भोगभूमि नहीं, और कर्मभूमि को लेकर मेरा सबसे बड़ा स्वप्न है रामराज्य की स्थापना। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन ही समाज के लिए एक आदर्श है। गांधीजी दुनिया के ऐसे राजनेता है जिन्हे लोग नेता से बढ़कर संत के रूप में याद करते है। गांधीजी के सिद्धांतों ने विश्व को सत्य और अहिंसा का आधुनिक दर्शन दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर बराक ओबामा तक उन्हें आदर्श मानते थे। भारत ही नहीं पूरे विश्व में न केवल उनके विचारों की व्यापक स्वीकार्यता है बल्कि उनके सिद्धांतों को प्रासंगिक मानकर उन पर चलने का प्रयास भी किया जा रहा है।

इस अवसर पर कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर ने कहा कि जब भी महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है तब सबसे पहले जहन में दो शब्द आते है वो है सत्य और अंहिसा। गांधी जी ने सत्य के प्रति अडिग रहकर अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उन्होंने अपने विचारों से न केवल भारत को आजादी दिलायी, बल्कि समाज में अनेक सुधार भी किए। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, स्वराज और सत्याग्रह के विचार शाश्वत है। इस अवसर पर रजिस्ट्रार डॉ. तरूण श्रीमाली, परीक्षा नियंत्रक डॉ. पारस जैन, डॉ. चन्द्रेश छतलानी, भगवती लाल श्रीमाली, निजी सचिव कृष्णकांत कुमावत, जितेन्द्र सिंह चौहान, डॉ. यज्ञ आमेटा, डॉ. हेमंत साहू, लहरनाथ, जयप्रकाश, रजनी पी., सिद्वार्थ, विकास डांगी, विजयलक्ष्मी सोनी, सहित कार्यकर्ताओं ने बापू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हे नमन किया। विद्यापीठ के संघटक लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रबंध अध्ययन संस्थान, बीएससीबीएड, आईटी, होम्योपेथी चिकित्सा महाविद्यालय, फिजियोथेरेपी चिकित्सा महाविद्यालय, श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल, कन्या महाविद्यालय डबोक, सहित संघटक विभागों में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।